

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2013—आश्विन 4, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-31-2013-1-पांच (49).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जो मध्यप्रदेश राज्य में स्थित उसकी चावल मिल में चावल के विनिर्माण में क्रय किये गए धान का उपभोग करता है, उसकी चावल मिल में विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोग हेतु धान के क्रय को उक्त धारा के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

2. यह अधिसूचना इसके “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-31-2013-1-पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-31-2013-1-पांच (49), दिनांक 26 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 26th Sepetember 2013

No. F-A-3-31-2013-1-V-(49).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts, the purchases of Paddy by a registered dealer, who consumes the paddy purchased in manufacture of rice in his rice mill situated in the State of Madhya Pradesh, for consumption in the process of manufacture in his rice mill, from payment of tax under the said section.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-31-2013-1-पांच (50).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लिखित एजेन्सियों के लिए या उनकी ओर से किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा धान के क्रय को उक्त धारा के अधीन कर के भुगतान से दिनांक 01 अप्रैल 2013 से छूट प्रदान करती हैः—

1. मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम मर्यादित
2. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
3. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
4. भारतीय खाद्य निगम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-31-2013-1-पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-31-2013-1-पांच (50), दिनांक 26 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2013

No. F-A-3-31-2013-1-V-(50).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts, the purchases of Paddy by a co-operative society for or on behalf of the agencies mentioned below, from payment of tax under the said section from 01 April 2013:—

1. Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited
2. Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Federation Limited
3. Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation
4. Food Corporation of India.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.